न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 37 / 2016

शहीद अहमद पुत्र नूरमौहम्द जाति कुरैशी, निवासी कस्बा कांमा, तहसील कांमा

............अपीलान्ट

बनाम

राज.सरकार जरिये पैरोकार सरकार

.......रेस्पो0

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 05.08.2016 आर्म्स
अनुज्ञापत्र नम्बर 232 / 85

उपस्थित :–

1–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक 08.5.2019

अपील माननीय सभांगीय आयुक्त महोदय भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.2016 के द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण इस न्यायालय को रिमान्ड किया गया है। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 232 / 85 कार्यालय न्याय / आदेश कमांक 4262 दिनांक 10.07.2013 से रिन्यूल नहीं किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 10.07.13 के खिलाफ माननीय सभांगीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहॉ अपील की गई। माननीय सभांगीय आयुक्त महोदय ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.2016 से उक्त अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.13 को निरस्त करते हुये प्रकरण न्यायालय हाजा को इस निर्देश

के साथ रिमान्ड किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट को तलब किया गया। जिला योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं सरकार पेरोकार को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस में प्रार्थी ने विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में किसी भी प्रकरण में शस्त्र दुरूपयोग की कोई शिकायत प्रार्थी के विरूद्ध नहीं की गई है। प्रार्थी बन्दूक किसी भी मुकदमें में तलब नहीं की गई है। अपीलार्थी के बन्दूक से सम्बन्धित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है एवं मात्र मारपीट के मुकदमा दर्ज हैं। प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा कराया जाकर आर्म्स अनुज्ञापत्र रिन्यूल किये जाने की प्रार्थना की गई।

सरकार पेरोकार द्वारा बहस में कथन किया है कि प्रार्थी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र संबधी रिपोर्ट में कई मुकदमों में अपराधी मानते हुए आर्म्स लाइसेंस को रिन्यूल नहीं करने की अनुशंसा की है। इसलिए लाईसेंस रिन्यूल प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के कथनों का गौर किया। अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट क्रमांक/भरत/आर्म्स/जि.वि.शा./2018/1067 दिनांक 5.9.18 में अंकित किया गया है कि :–

> ''...........आवेदक के विरुद्ध अ.स.353/16 धारा 323,341,34 भा.द.स. में दर्ज हुआ, उक्त सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें चार्जशीट नं0 175 दिनांक 30.07.2016 वर्तमान में न्यायालय में विचारधीन है। अतः थानाधिकारी कांमा ने नवीनीकरण करने की सिफारिश नहीं की है........।''

तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का अनुज्ञापत्र जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की उक्त रिपोर्ट क्रमांक 18964 दिनांक 20.12.2012 से निलम्बित किया गया। वर्तमान में प्राप्त रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर का पत्र क्रमांक/1067 दिनांक 05.09.2018 में भी अपीलांट के विरूद्ध मु0 नं0 अ.स. 353/16 धारा 323,341,34 भा.द.स. में दर्ज होना अंकित किया

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

है। अपीलांट /प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि अपीालंट के विरूद्ध उक्त विचाराधीन मुकदमें में सक्षम न्यायालय से निर्णय हो चुका हो या उक्त मुकदमों में अपीलांट दोष मुक्त हो गया हो। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक/प.1(13) गृह/9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु 4 (2) (1) (2) का अवलोकन किया गया। जिसमें (पात्रता) उल्लेख है कि **'' हथियार , विशेषकर आग्नेय शस्त्र , का दुरूपयोग नहीं हो इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि आवेदक सच्चरित्र,मानसिक रूप से स्थिर एवं हथियार चलाने में दक्ष हो। इसके लिए आवश्यक है कि आवेदन प्राप्त होते ही अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा पात्रता का युक्ति संगत ढंग से परीक्षण किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि आपराधिक पृष्ठभूमि , विकल मानसिकता एवं हथियार संचालन के अयोग्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र नहीं दिया जावे। अतः अपेक्षित है कि आवेदक के चरित्र का सघनता से परीक्षण कराया जावे''।** तथा बिन्दु संख्या 8 के 8 (1) में उल्लेख है कि '' **यदि किसी अनुज्ञापत्र धारी के विरूद्ध आपराधिक मामले में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने या शांतिभंग होने की कार्यवाही की जानकारी मिलती है तो नवीनीकरण की अवधि का इंतजार नहीं करके अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावे''**।

चूंकि अपीलांट के विरूद्ध वर्तमान में भी आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है ऐसी स्थिति में उक्त गृह विभाग के परिपत्र के परिपेक्ष्य में आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति एवं तहत पत्रावली प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट भरतपुर को भेजी।

निर्णय आज दिनांक 08.5.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official